

जनपद न्यायालय बिजनौर

परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिवार न्यायालय जनपद बिजनौर में परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों से जो जनपद बिजनौर के निवासी हैं, से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 16-09-2019 को सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

अनिवार्य अर्हतायें तथा अन्य नियम व शर्तें -

1-शैक्षिक अर्हता- समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो यदि आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक कान्सलिंग में जिसे दो वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, उसे वरीयता दी जायेगी।

2- विज्ञापन के समय आवेदक की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिये। परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर तीन वर्ष के लिये उनके नाम पर पुनः विचार किया जा सकता है। परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

3- उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत परामर्शदाता के आबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणित फोटो सहित दिनांक 16-09-2019 तक प्रशासनिक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दे। नियत दिनांक के उपरान्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

WWW.upgov.nic.in

upid-140232 Dt-28.05.2019

जनपद न्यायाधीश
जनपद न्यायालय बिजनौर।

जिला न्यायालय बिजनौर में परिवार न्यायालय हेतु परामर्शदाता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप-

1-पद का नाम _____

2-अभ्यर्थी का पूरा नाम _____

3-पिता/पति का नाम _____

फोटो प्रमाणित कराये

4-स्थायी आवासीय पता _____

5-पत्राचार हेतु पता _____

मोबाईल नं० _____ ई-मेल आई.डी. _____

6-जन्म तिथि _____

7-दिनांक _____ को अभ्यर्थी की आयु _____ वर्ष _____ माह _____ दिन _____ जन्म तिथि के लिये

हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न करे।

8- शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण परीक्षाओं का उल्लेख करे और प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे। शैक्षिक योग्यता का विवरण -

क्रम सं०	परीक्षा/ डिग्री	संस्था का नाम	वर्ष	टिप्पणी

9- क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक वाद लम्बित है अथवा उसे किसी अपराधिक वाद में दण्डित किया गया है (यदि हां तो उसका उल्लेख करे)

नोट:- यह आवेदन पत्र में अंकित किया जाना आवश्यक है।

घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण सूचनाएं सत्य हैं और मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है यदि कोई विवरण सूचना असल अथवा गलत पायी जाती है या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जाये।

संलग्नको की संख्या-

1.अंको एवं शब्दों में

2.विवरण

3.तिथि

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर व पता